16/12/2022	पत्रावली [illegible] वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान [illegible] पूर्व आदेशानुसार पत्रावली [illegible] पेश है। वकील पक्षकार द्वारा आज पेशी पर प्रस्तुत प्रश्न एवं पत्रावली के अवलोकन, मनन के आधार पर T.I. कंफर्म की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.03.02 14:03:18 IST
Reason: SelfAttested